

न्यायालय:- तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बालाघाट, जिला-बालाघाट (म0प्र0)
{ पीठासीन अधिकारी : अपर्णा आर.शर्मा }

व्यवहार वाद क्र. 144-ए/2017

संस्थापन दि. 23.10.2017

फाईलिंग नं. आर.सी.एस.ए/775/2017

मोतीराम कुर्वे पिता यशवंत कुर्वे, उम्र 45 साल, जाति सुनार,
 निवासी ग्राम कड़कना, तहसील किरनापुर,
 जिला-बालाघाट(म0प्र0).....

आवेदक/वादी

// विरुद्ध //

1. यशवंतराव कुर्वे स्व. डोमाजी, उम्र 63 साल, जाति सुनार,
 निवासी ग्राम कड़कना तहसील किरनापुर, बालाघाट,
2. अनिल सिंह गहरवार पिता कौशलसिंह, उम्र 40 साल,
 जाति राजपुत, निवासी ग्राम हिरी तहसील किरनापुर,
 जिला बालाघाट,
3. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बालाघाट,
 जिला बालाघाट.....

अनावेदकगण/प्रतिवादीगण

1. आवेदक/वादी द्वारा श्री आई.के.सोनवाने अधिवक्ता।
2. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा श्री खेमेन्द्र नाथ एडे अधिवक्ता।
3. अनावेदक/प्रतिवादी क्रं. 2 द्वारा श्री जितेन्द्र मंगलानी अधिवक्ता।
4. प्रतिवादी क्रं. 3 अनिर्वाहित।

// आदेश //

{ आज दिनांक 12.02.2018 को पारित }

1. इस आदेश द्वारा आवेदक/वादी की ओर से पेश आवेदन पत्र आदेश-39 नियम-1 व 2 तथा धारा-151 सी.पी.सी. आई.ए.नम्बर-1 का निराकरण किया जा रहा है।
2. आवेदकगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन आई.ए.नम्बर-1 संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के दादा डोमाजी की मृत्यु के पश्चात् आवेदक के पिता प्रतिवादी क्रं. 1 को प्राप्त हुई है, उक्त संपूर्ण भूमि पर अनावेदक क्रं. 1 कास्त कर रहा है, आवेदक, अनावेदक क्रं. 1 का एकमात्र पुत्र है तथा इसके अलावा दो बहने हैं जो वर्तमान में विवाहित होकर अपने ससुराल में निवास करती हैं, आवेदक को अनावेदक क्रं. 1 द्वारा उक्त पैतृक संपत्ति में से कोई भूमि नहीं दी गई है और आवेदक कृषि मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। अनावेदक क्रं. 1 द्वारा उक्त आवेदक की पैतृक संपत्ति में से 0.50 डिसमिल भूमि अनावेदक क्रं. 2 को जन्म हक में विक्रय कर चुका है और बयाने में अग्रिम राशि 50,000/-रुपये भी प्राप्त कर चुका है तथा शेष राशि रजिस्ट्री के समय दिये जाने का करार किया गया है, आवेदक को इस संबंध में जानकारी 15 अगस्त 2017 को प्राप्त हुई तथा उसने भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में जानकारी प्राप्त किया तो जानकारी मिली की अनावेदक क्रं. 1 ने अनावेदक क्रं. 2 को आवेदक की पैतृक

संपत्ति को विक्रय करने का पक्का सौदा कर लिया है, तब उसने अपने अधिवक्ता के द्वारा सूचना पत्र 21.09.2017 को भेजा और इसके पूर्व भी अनावेदकगण को समझाया कि भूमि ना खरीदे। अनावेदक कं. 1 संपूर्ण भूमि पर काबिज होकर भूमि की फसल आदि प्राप्त कर रहा है। अनावेदक कं. 1 एक स्वस्थ व्यक्ति है तथा किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति व साहूकार का कोई ऋण लिया है, अनावेदक कं. 1 बेवजह आवेदक के पैतृक संपत्ति में हक व हिस्सा समाप्त करने की गरज से भूमि को विक्रय कर रहा है।

3. आवेदकगण/वादीगण ने आगे यह अभिवचन किया है कि उक्त भूमि आवेदक की पैतृक संपत्ति है अनावेदक कं. 1 उसका पिता है जिसे आवेदक के दादा डोमाजी से वारसान हक में भूमि प्राप्त हुई है इस प्रकार उक्त भूमि आवेदक की पैतृक संपत्ति है तथा प्रथम दृष्टया वादी की पैतृक संपत्ति होने के कारण अनावेदक कं.1 को अनावेदक कं. 2 को भूमि विक्रय करने का हक व अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में है, उक्त भूमि आवेदक की पैतृक संपत्ति है यदि उक्त भूमि को प्रतिवादी कं. 1 द्वारा कय विक्रय की जाती है तो वह अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जावेगा तथा उसे अनेक दावों में उलझना पड़ेगा तथा उसे असुविधा होगी। अपूर्ण क्षति का बिंदु भी आवेदक के हक में है, यदि आवेदक की पैतृक संपत्ति को विक्रय किया जाता है तो वह अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जावेगा तथा उसे अपूर्ण क्षति होगी जिसे द्रव्य के पूरी नहीं की जा सकेगी। अतः आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।

4. अनावेदक/प्रतिवादी कं. 1 ने वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने कथन में यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमियां प्रतिवादी कं. 1 द्वारा स्वयं की आय से खरीदी हुई भूमियां हैं, खसरा नं. 18/1 रकबा 0.40 डिस. तथा खसरा नं. 39/3क रकबा 0.31 डिस. जुमला 0.71 डिस. भूमि प्रतिवादी कं. 1 द्वारा दिनांक 07.04.2004 को बालकिशन पिता डोमाजी द्वारा खरीदी गई है, खरीदी दिनांक से उक्त भूमि पर प्रतिवादी कं. 1 का कब्जा व मालकी चली आ रही है, इस प्रकार शेष ख.नं.18/3 तथा 18/4 की भूमियां भी प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई है और खरीदी दिनांक से कब्जा व मालकी चली आ रही है। विवादित भूमि प्रतिवादी कं. 1 के द्वारा स्वयं की आय से कय की गई भूमि है, ऐसी दशा में उक्त विवादित भूमि स्व-अर्जित भूमि है, जिससे उक्त भूमि पर वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता, ऐसी दिशा में उक्त भूमि से कोई भूमि वादी को देना आवश्यक नहीं है, जबकि वादी करीब 20 वर्ष पूर्व से प्रतिवादी से अलग अधिवास करता है। प्रतिवादी कं. 1 द्वारा प्रतिवादी को किसी रूपेण बिक्री करने का कोई सौदा नहीं किया है ना ही किसी प्रकार की राशि प्राप्त की है। विवादित भूमि प्रतिवादी कं. 1 की स्व. अर्जित भूमि है, जिस पर वादी का किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं बनता, वादी द्वारा कराया गया आवेदन पोषणीय ना होने से न्यायहित में खारिज किए जाने योग्य है। अतः आवेदन निरस्त किया जावे।

5. अनावेदक/प्रतिवादी कं. 2 ने वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने विशिष्ट कथन में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादी कं. 1 का वादी अथवा प्रतिवादी कं. 1 से कोई सरोकार नहीं है, प्रतिवादी कं. 2 द्वारा प्रतिवादी कं. 1 से वाद भूमि कय करने का न तो करार किया है और न ही सत्यकार राशि के रूप में 50,000/-रु. अथवा कोई राशि प्रतिवादी कं. 1 को भुगतान की गई है, चूंकि प्रतिवादी कं. 2 द्वारा प्रतिवादी कं. 1 के साथ

वाद भूमि को क्रय करने का कोई करार कभी किया ही नहीं गया है इस कारण शीघ्र ही विक्रय पत्र निष्पादित करने का प्रश्न ही नहीं है। प्रतिवादी क्रं. 2 ठेकेदार है और ग्राम समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वादी प्रतिवादी क्रं. 2 से द्वेष रखता है और वादी द्वारा प्रतिवादी क्रं. 2 को , अनावश्यक और निराधार ढंग से इस वाद में प्रतिवादी क्रं. 1 के साथ वाद भूमि का प्रस्तावित क्रेता दर्शाकर अभियोजित किया जा रहा है। इस अनावश्यक मुकदमेबाजी में अपनी प्रतिरक्षा में प्रतिवादी क्रं. 2 को न केवल धन खर्च करना पड़ रहा है बल्कि अपना व्यवसाय छोड़कर समय भी देना पड़ रहा है। प्रतिवादी क्रं. 2 का कोई सरोकर न होने के बावजूद उसे इस वाद में वादी ने प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया है जिससे प्रतिवादी क्रं. 2 मानसिक रूप से परेशान रहा है जिसके लिए वादी उत्तरदायी है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रतिवादी क्रं. 2 के विरुद्ध निरस्त किया जावे।

6. विचारणीय प्रश्न निम्न हैं :-

- 1— क्या प्रथमदृष्टया मामला वादी/आवेदक के पक्ष में सुदृढ़ है ?
- 2— क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
- 3— क्या वादी/आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है ?

सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 2, 3 के संबंध में:-

7. सुविधा की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। आवेदक/वादी ने यह आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि अनावेदक क्रं. 1 उसका पिता है और उसके पिता को वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 18/1, 18/3, 39/4, 39/3 के रकबा 0.162, 0.158, 0.409 और 0.126 हेक्टेयर पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी जिसमें से 50 डिसमिल भूमि अनावेदक क्रं. 2 को विक्रय कर चुका है और 50,000/-रुपये बयाने के प्राप्त कर चुका है, शेष राशि रजिस्ट्री के समय दिये जाने का करार हुआ है जिसकी जानकारी आवेदक/वादी को प्राप्त हुई है, वादग्रस्त भूमि पैतृक संपत्ति है, उसमें वादी का अधिकार है और प्रतिवादी क्रं. 1 का उक्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। अतः प्रकरण के निराकरण तक प्रतिवादी क्रं. 1 को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने से रोका जावे।

8. प्रतिवादी क्रं. 1 ने वादग्रस्त भूमि स्वयं के द्वारा क्रय करना बताया है, उक्त भूमि को स्वअर्जित भूमि होना बताते हुए उसे व्ययन या विक्रय किये जाने का अधिकार प्राप्त होना बताया है। वादी ने वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने का अभिवचन किया है, उसकी ओर से वर्ष 2016-7 का खसरा प्रस्तुत किया गया है और आवेदक की ओर से अनावेदक को दिये गये नोटिस प्रस्तुत किया है जबकि अनावेदक की ओर से खसरा नं. 18/1 एवं खसरा नं. 39/33 के विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि के दो खसरे प्रतिवादी क्रं. 1 के द्वारा क्रय किया गया है और दो खसरे के संबंध में यह कथन किया है कि वह भी उनके द्वारा क्रय किये गये हैं किंतु इस समय उनके पास विक्रय पत्र उपलब्ध नहीं है।

9. वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होना बताया गया है, किंतु इस संबंध में एक मात्र भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि

अनावेदक क्रं. 1 की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र से उक्त भूमियां उसकी स्वअर्जित होना दर्शित होती है आवेदक/वादीगण 50 डिसमिल भूमि अनावेदक क्रं. 2 को विक्रय किये जाने का कथन किया है जबकि अनावेदक क्रं. 2 ने इससे इंकार किया गया है इस संबंध में वादी की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने के संबंध में भी आवेदक/वादी की ओर से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने से यह दर्शित नहीं होता है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। अतः प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं दिखाई देता है तथा प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में न होने से अपूर्ण्य क्षति और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में दिखाई नहीं देता है।

10. अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों स्तंभ आवेदक/वादी के पक्ष में न होने से आवेदक/वादी का उक्त आवेदन अंतर्गत आदेश-39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. आई.ए.नंबर-1 विधिसंगत न होने से **निरस्त** किया जाता है।

11. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के अंतिम निराकरण पर नहीं पड़ेगा।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व मेरे वक्तव्य पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही /—

(अपर्णा आर.शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अपर्णा आर. शर्मा)

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
बालाघाट (म.प्र.)